

राजस्थान सरकार

राजस्व और गृह-6 विभाग

क्रमांक:- प. 644 राज-6/2000/ 18

जयपुर, दिनांक:- 3/6/2000

—: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपर्युक्त वर्ष 1956 की धारा 260 की उपधारा 18 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार स्तंभद्वारा निर्देशा देती है कि भू-राजस्व अधिनियम एवं इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकारी पर अधिरोपित करवाये एवं शक्तियों का प्रयोग तहसील पचाहाड़ एवं ग्रामोहराथाना जिला हालाखाड़ के तहसीलद्वारा द्वारा उनके द्वेषाधिकार के भीतर किया जाएगा।

यह अधिसूचना दिनांक 30.6.2000 तक प्रभावी रहेगी।

राज्यमाल की आड़ा से,

श्री चित्र कुमार शर्मा  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ स्वामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री/राजस्व राज्य मंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव।
2. बसंबंधित संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
5. निदेशक, राज्य के द्वारा गुद्रणालय जयपुर को राजपत्र विभाग के दिनांक 3-6-2000 में प्रकाशनार्थ।
6. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. उप निबन्धक, तथा वित्त स्वामी जेष्ठा राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. राज्यित पत्रावली।

शासन उप सचिव 3/6/2000

मनोज/